न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 289 सन 2020

अनवान :–

1. सतपाल पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रणवीरसिह पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र स्व गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
2. भूपेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
3. विजय कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
4. आशाराम पुत्र स्व गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
5. जयलाल पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
6. राजेश कुमार पुत्र स्व आशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
7. रेवन्ती पत्नी गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
8. लादुदेवी पुत्री स्व गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
9. मालादेवी पुत्री स्व गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
10. सन्तोष पुत्री स्व गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 02/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 113/105 की कुल 16.8070हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा गणेशाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा गणेशाराम पुत्र जैसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्र के वारिसान है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो गणेशाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के हकदार है ।

वादी के दादा गणेशाराम पुत्र जैसाराम के नाम से अन्य ग्राम सुरजनसर एवं मिनकदेसर में भी भूमि थी जो उनके वारिसान के नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है

प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 की बहने है प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की गणेशाराम पुत्र जैसाराम जो वादीगण का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पिता गणेशाराम वल्द जैसाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भतिजो/भाई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 113/105 की कुल 16.8070हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा गणेशाराम पुत्र जैसाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के दादा गणेशाराम पुत्र जैसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्र के वारिसान है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो गणेशाराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के हकदार है ।

वादी के दादा गणेशाराम पुत्र जैसाराम के नाम से अन्य ग्राम सुरजनसर एवं मिनकदेसर में भी भूमि थी जो उनके वारिसान के नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है

प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 की बहने है प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 113/105 की कुल 16.8070हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा गणेशाराम पुत्र जैसाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी के दादा गणेशाराम वल्द जैसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है व अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादीगण के कथनों की पुष्टि होती है अर्थात गणेशाराम वल्द जैसाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 जो वादीगण की बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भतिजों /भाईयो के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया जा चुका है कि उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 113/105 की कुल 16.8070हैक भूमि जो गणेशाराम वल्द जैसाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सुरजानसर व रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 208/216 का अंकन यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सतपाल पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रणवीरसिह पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र स्व गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
2. भूपेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
3. विजय कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
4. आशाराम पुत्र स्व गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
5. जयलाल पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
6. राजेश कुमार पुत्र स्व आशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
7. रेवन्ती पत्नी गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
8. लादुदेवी पुत्री स्व गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
9. मालादेवी पुत्री स्व गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
10. सन्तोष पुत्री स्व गणेशाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 289 सन 2020 निर्णय दिनांक– 2/9/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 113/105 की कुल 16.8070हैक भूमि जो गणेशाराम वल्द जैसाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सुरजानसर व रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 208/216 का अंकन यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner